

प्रकाश

अखिल मध्य प्रदेश,
उत्तर प्रदेश शासन ।

लेखा नं.

शिक्षा-7 अनुभाग

राज्य
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
विभाग नं-2 तमसारा कम्प्लेक्स,
प्रति शिक्षा विभाग, नई दिल्ली ।

दिनांक: 28 जुलाई, 2001

विषय:- शिक्षित क्वालिफर किल्लेन रूडन विद्याभ्यासीकृत मक को ती०की०स०की० नईदिल्ली से संकेता देय अनापत्त प्रमाण पर प्रदान करने के संबंध में ।

संबोध,

अपुनिका शिक्षा पर जो ध्यान रखने का निर्देश हुआ है कि शिक्षित क्वालिफर किल्लेन रूडन मक को ती०की०स०की० नईदिल्ली से संकेता देय अनापत्त प्रमाण पर दिये जाने से इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिक्रियाओं के अधीन अनापत्त नहीं है:

- 1- विभागाध्यक्ष की संवेदना सीतामढ़ी को समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।
- 2- विभागाध्यक्ष की प्रत्येक तमिनी में किताब निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य बोध
- 3- विभागाध्यक्ष से कम से कम एक प्रतिष्ठित स्थान अनुपुनिका जाति/जमाति के सदस्यों के लिये सुरक्षित रखेये और उनके उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा स्थापित विभागों में विभिन्न स्तरों के लिए नियमित रूप से अधिक रूप से नियुक्त किया जायेगा ।
- 4- संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान को मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विभागाध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा परिषद से अथवा वैतनिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विभागाध्यक्ष की संकेता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कीलिंग कार दि संक्षिप्त रूडन तर्कीफिद उल्वाकिदिस नईदिल्ली से प्राप्त होती है तो उन परीक्षा वर्ष से उक्त केन्द्रीय परिषदों की संकेता प्राप्त होने की तिथि से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्थान: समाप्त हो जायेगे ।
- 5- संस्था केविक वर्ष किमेतार कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त किया किम संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमत्त वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्तों नहीं दिये जायेगे ।
- 6- कर्मचारियों की सेवा की कार्याय जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त असात-वीं उच्चतर माध्यमिक विभागों के कर्मचारियों की अनुमत्त सेवाशुक्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेगे ।

Asst
MANAGER
LITTLE FLOWER CHILDREN SCHOOL
NIZAMUDDIN PURA
MAU

PRINCIPAL
LITTLE FLOWER CHILDREN SCHOOL (71072)
MAU

- 7- राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी अतिरिक्त निधी लिये जायेंगे तैयार उनका पालन लेनी ।
- 8- उक्त कारों में राज्य सरकार के पूर्वनिर्धारित के बिना कोई परियोजना/संशोधन या परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा ।
- 9- उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी भी प्रकार की पुन या झिझकता धरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक आर्थिक प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भरतीप,

। अशोक चन्द्र गुप्ता ।
अनु सचिव ।

पुणे-4071111/15-7-सदरिनिधि

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सुचारु रूप से आचार्य कार्यालय में भेजिए :-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 2- मध्यमिक शिक्षा निदेशक, आगरा ।
- 3- शिक्षा विभाग निदेशक, क. ।
- 4- उपाय भारतीय शैक्षणिक विभाग, उ.प्र., लखनऊ ।
- 5- ✓ प्रमुख, शिक्षा पत्रिका विभाग, लखनऊ ।
- 6- सचिव क. ।

उत्तर है,

। अशोक चन्द्र गुप्ता ।
अनु सचिव ।

A. & M.
MANAGER
LITTLE FLOWER CHILDREN SCHOOL
NIZAMUDDIN PURA
MAU

P. Jais.
PRINCIPAL
LITTLE FLOWER CHILDREN SCHOOL (71072)
MAU